परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक–3181 द्वारा श्री सचिन यादव ।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के मापदण्ड एवं ऋण राशि सीमा की जानकारी ।

अ) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना –

मापदण्ड –

1) आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होकर, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, जिसकी उम्र 18–45 वर्ष हो मान्य किया जाता है।
2) आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अषोधी (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।
3) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वीं उत्तीर्ण हो।
4) योजनांतर्गत आय की कोई सीमा नहीं है।
5) योजनांतर्गत आवेदक एक ही बार लाभ ले सकता है।
6) योजना में ऋण उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगा।
7) आवेदक से उक्त योजना में जाति प्रमाण पत्र (तहसील कार्यालय से जारी), अंक सूची (जन्म तिथि सहित) आधार कार्ड, राषन कार्ड, स्वयं की तीन फोटो पासपोर्ट साईज प्राप्त किये जाते है।

ऋण सीमा –

1) इस योजनांतर्गत परियोजना 20 हजार से 10 लाख अधिकतम होगी।
2) योजना में परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 30 प्रतिषत अधिकतम 2 लाख तक जो कम हो देय होगी।
3) ब्याज अनुदान 5 प्रतिषत की दर से अधिकतम 25 हजार प्रतिवर्ष (7 वर्ष तक) केवल उद्योग/सेवा क्षेत्र में देय होगी।
4) गारंटी शुल्क प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

ब) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना –

मापदण्ड –

1) आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होकर, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, जिसकी उम्र 18–55 वर्ष हो मान्य किया जाता है।
2) आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अषोधी (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।
3) आवेदक साक्षर हो।
4) योजनांतर्गत आय बी.पी.एल. श्रेणी की हो अथवा बी.पी.एल. कार्डधारी हो।
5) योजनांतर्गत आवेदक एक ही बार लाभ ले सकता है।
6) आवेदक से उक्त योजना में जाति प्रमाण पत्र (तहसील कार्यालय से जारी), आधार कार्ड, राषन कार्ड, स्वयं की तीन फोटो पासपोर्ट साईज प्राप्त किये जाते है।

ऋण सीमा –

1) इस योजनांतर्गत परियोजना 20 हजार अधिकतम होगी।
2) योजना में परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 50 प्रतिषत अधिकतम 10 हजार तक जो कम हो देय होगी।

स) सावित्री बाई फूले स्वसहायता समूह विकास योजना –

मापदण्ड –

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

परिशिष्ट

1) योजनांतर्गत स्वसहायता समूह का गठन क्षेत्र की आवष्यकता, चयनित समूह की अभिरूचि एवं व्यवसाय की स्थिति को ध्यान में रखकर 5 से 10 महिलाओं के समूह गठित किये जावेगे।

1) आवेदिका केवल महिला जो म.प्र. की मूल निवासी होकर, अनुसूचित जाति वर्ग की सदस्य हो, जिसकी उम्र 18–55 वर्ष हो मान्य की जाती है।

2) आवेदिका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अषोधी (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।

3) आवेदिका साक्षर हो।

4) योजनांतर्गत आय बी.पी.एल. श्रेणी की हो अथवा बी.पी.एल. कार्डधारी हो।

5) योजनांतर्गत आवेदक एक ही बाद लाभ ले सकता है जो परिवार से एक सदस्य हो।

6) आवेदक से उक्त योजना में जाति प्रमाण पत्र (तहसील कार्यालय से जारी), आधार कार्ड, राषन कार्ड, स्वयं की तीन फोटो पासपोर्ट साईज प्राप्त किये जाते है।

ऋण सीमा –

1) इस योजनांतर्गत प्रति सदस्य अधिकतम 2 लाख तक ऋण का प्रावधान है।

2) योजनांतर्गत भारत सरकार की विषेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत रू. 10 हजार अधिकतम अनुदान देय होगा।

सचिव

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग